न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बर:– 95/2022

निर्णय दिनांक :–02.01.2023

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मणकसास

बनाम

श्री सायर सिंह, हरिसिंह, राजेन्द्र सिंह, महावीर सिंह पुत्रगण प्रभूसिंह जाति राजपुत निवासी खौह तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–02.01.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का मणकसास तथा भू.अ. निरीक्षक गुड़ा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का मणकसास के ग्राम खौह में स्थित भूमि ख.न. 686 व 1221/684 कुल रकबा 0.0.12 है0 किस्म गै0मु0 नाला में से 0.012 है0 सरकारी भूमि पर पारा लगाकर व छड़ी बाड़ लगाकर कर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री सायर सिंह, हरिसिंह, राजेन्द्र सिंह, महावीर सिंह पुत्रगण प्रभूसिंह जाति राजपुत निवासी खौह ने अनाधिकृत रूप से पारा लगाकर व छड़ी बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा दिनांक 02.01.2023 को उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । जवाब नोटिस निम्न प्रकार से है:– यह कि उतरदाता के उक्त भूमि पर काफी मेहनत करके काश्त योग्य बनाया है तथा उक्त भूमि पर जवाबदेहन्दा काफी समय से ही आबाद चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर जवाबदेहन्दा अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज चला आ रहा है जवाबदेहन्दा के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कोइ ठोस साक्ष्य सबुत पैश नही किया गया । अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

Scanned with OKEN Scanner

...ी धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के ...रूप अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भैतिक रूप से ...ल किये जाने के आदेश दिये जाते हे।

आदेश

पटवार हल्का मणकसास को ग्राम खौह में स्थित भूमि 683 व 1221/684 कुल रकबा 0.12 है0 किस्म गै0मु0 नाला में से 0.12 है0 भूमि. पर अप्रार्थी/अतिकमी श्री सायर सिंह, हरिसिंह, राजेन्द्र सिंह, महावीर सिंह पुत्रगण प्रभूसिंह जाति राजपुत निवासी खौह को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 2/– रूपये का 50 गुणा यानि कुल 100/– रूपये (अक्षरे सौ रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिकमी पर आरोपित किया जाता है। निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एंव भू0अ0 निरीक्षक कों लिखा जावें। भू0अ0 निरीक्षक उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को सरकारी भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner